संख्या :220/XVII(1)/11–42(प्रकोष्ठ)/2007

प्रेषक,

एम. एच. खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांकः 07 जून, 2011

विषयः अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत क्रमशः डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 125/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 के द्वारा सामान्य दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–2(अ)(7) में "नगरीय मलिन बस्तियों/बाहुल्य ग्रामों में बहुद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण" की मद भी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। सम्यक विचारोपरांत इस मद को विस्तृत करते हुए इस मद के अंतर्गत अब अनुसूचित जाति उप योजना के अधीन डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन तथा जनजाति उप योजना के अधीन डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन भी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इन भवनों का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि भूतल पर दुकानें बनायी जायेंगी, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम तल पर कार्यशाला तथा प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों हेतु वृहद कक्ष (हॉल) बनाया जायेगा। द्वितीय तल पर शिल्पियों/इसी वर्ग के लोगों के लिए अस्थायी एवं अल्प अवधि के अवस्थान हेतु डोरमैट्री एवं कार्यालय कक्ष बनाया जायेगा। डोरमैट्री में ठहरने हेतु बिजली/पानी/संचालन/रख–रखाव आदि का व्यय भार वहन किये जाने हेतु लाभ–हानि रहित व्यवस्था के आधार पर न्यूनतम शुल्क का प्राविधान रखा जायेगा तथा भवन के सामयिक रखरखाव, जिसमें रंगाई–पुताई, बिजली, पानी आदि सम्मिलित है, में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटियों/लाभार्थियों से न्यूनतम शुल्क की वसूली करने की व्यवस्था की जायेगी।

3– चूंकि उक्त बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण का मूल एवं मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए बाजार/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है, इसलिए प्रथम चरण में डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय

क्रमशः ..... 2 पर

भवन एवं डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन का निर्माण केवल जनपद मुख्यालयों में ही ऐसे स्थान पर किया जायेगा, जहां पर उत्पादित सामग्री की बिक्री के लिए अनुकूल व्यवस्था/बाजार उपलब्ध हो तथा जहां पर उपभोक्ताओं/क्रेताओं का आवागमन निरन्तर बना रहता है। क्योंकि यदि भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन उपयुक्त स्थान पर नहीं होगा तो योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी। इसलिए भवन का निर्माण उपयुक्त स्थल चयन के उपरांत ही किया जाय।

4– डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन तथा डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु प्रथमतः जिलाधिकारी के माध्यम से निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे, किंतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने पर भूमि क्रय भी की जा सकती है।

5– भवन बनाने के उपरांत दुकानों का आवंटन एवं संचालन आदि की व्यवस्था का दायित्व समाज कल्याण विभाग स्वयं न लेते हुए इसे पी0पी0पी0 मोड में चलाने अथवा विभागीय उपक्रम उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को देना उचित होगा तथा निगम आउटसोर्सिंग के आधार पर इन दुकानों का संचालन कर सकता है।

6– कुल निर्मित दुकानों का आवंटन प्रथमतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिल्पियों को किया जायेगा, किंतु यदि पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो अधिकतम 30 प्रतिशत दुकानें सामान्य वर्ग के शिल्पियों को आवंटित की जा सकती हैं। यह व्यवस्था/प्राविधान मात्र अपवाद होगा न कि अनिवार्यता। इस प्रकार सामान्य वर्ग के शिल्पियों को दुकानें आवंटित करने की दशा में उनसे लिया जाने वाला शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के समतुल्य नहीं होगा अपितु इसे बाजार दरों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जायेगा, किंतु यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से लिए जाने वाले शुल्क की तुलना में कम से कम चार गुना अधिक अवश्य रखा जाना चाहिए।

7– उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन तथा डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के उपरांत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया हेतु तथा इन भवनों के संचालन हेतु नियमावली का निर्धारण क्रमशः निदेशक, समाज कल्याण एवं निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा किया जायेगा।

8– भवन निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता तथा समयबद्धता की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा कार्यदायी संस्था प्रगति की मासिक रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेगी।

9– उपरोक्त प्रस्तर–1 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न सामान्य दिशा–निर्देश के प्रस्तर–6(3) में यह व्यवस्था भी है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत ₹1.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं का निर्माण नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति उप योजना के अधीन डा0 अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन तथा जनजाति उप योजना के अधीन डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बहुउद्देशीय भवन के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में उक्त ₹1.00 करोड़ की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

क्रमशः ..... 3 पर

10– अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 125/XVII(1)/09–42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 13 फरवरी, 2009 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

11– उपरोक्त बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड होगा।

12– अतः तदनुसार जनपदवार भूमि की उपलब्धता का विवरण एवं बहुउद्देशीय भवनों के पृथक–पृथक आगणन शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 56(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 31 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम. एच. खान)
सचिव एवं आयुक्त।

संख्या : 220 (1)/XVII(1)/11–42(प्रकोष्ठ)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(एम. एच. खान)
सचिव एवं आयुक्त।